संख्या :– 160/2018

श्री मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दलालपुरा **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24·7·19	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील वादी की सुनी गयी व प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 351 से 354 साबिक खसरा नम्बर 119 के रास्तों के खसरा नम्बर 356/587 व 355/588 के साबिक खसरा नम्बर 116 थे आबादी खसरा नम्बर 367 के साबिक खसरा नम्बर 104 थे उक्त तीनो साबिक नम्बरों का जो साबिक नक्शा था वो पूर्णतया सही था तथा प्रार्थी व अन्य लोग आज भी साबिक नक्शे अनुरूप ही मौके पर काबिज काश्त व उपयोग व उपभोग में है। भू–प्रबन्ध के दौरान विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी आधार के मौके व साबिक नक्शे के विपरीत जाकर वर्तमान नक्शा बना दिया जिससे नक्शे व मौके में अन्तर आ गया। आज के नक्शे में रास्ते को उत्तरी कोने पर छोटा कर दिया, साबिक नक्शे में रास्ता पश्चिम की ओर से खातेदार के खसरा नम्बर 115 जिसमें उसके पुख्ता मकानात बने हुये थे से उत्तरी और उपर तक रास्ता जाता था जो मौके पर आज भी जाता है, इसी रास्ते से उत्तरी ओर की अंतिम सीमा तक प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 119 आती थी जो भी मौके पर आज भी स्थित हैं किन्तु वर्तमान नक्शे में प्रार्थी के नये खसरों के नक्शों को उत्तरी और से काटकर तिरछा कर दिया रास्ते को भी उत्तरी ओर से छोटा कर पश्चिम ओर के पडौसी की दक्षिणी सीमा तक कर दिया इन दोनो की जगह गांव के आबादी नम्बर को दक्षिणी ओर प्रार्थी व रास्ते की तरफ बढा दिया जिस वजह से मौके पर तरह तरह की परेशानी हो गयी। जो जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी ग्राम नन्दलालपुरा की जमाबंदी संख्या 2070–73 का नक्शा ट्रेस 4 प्रति खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2022 फर्द मोका रिपोर्ट फोटो प्रति दिनांक 24.06.2017, 22.09.2017 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 351, 352, 353, 354 वर्तमान नक्शे को साबिक नक्शे व मौका स्थिति अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार वर्तमान नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)	उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested